



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्थान मण्डल ग्वालियर केसा भीषान

R - 648 - III/13

प्र०ब्रं

1- प्रभुलाल आ० रुगनाथ जाति-कुलमी

आयु- वयस्क

2- गीताबाई पुत्री रुगनाथ आयु वयस्क

दोनों निंग्राम-पिपलिया कुलमी

तहोजीरापुर जिरा राजगढ़।

--- प्रार्थिणा

--- विरुद्ध ---

1- सुगरा-बी पर्सिन अब्दुल हमीद, वयस्क

2- अब्दुल सईद आ० स्व. अब्दुल हमीद, वयस्क

3- अब्दुल रफीद आ० स्व० अब्दुल हमीद, वयस्क

4- अब्दुल हफीज आ० स्व० अ० हमीद, वयस्क

5- आ० रह्मान आ० स्व० अ० हमीद, वयस्क

6- हसीना पुत्री स्व० अ० हमीद, वयस्क

समर्पित जाति-पिंजारा जिस्त निंग्राम-

पिपलिया कुलमी तहोजीरापुर जिरा राजगढ़।

7- गंगाराम आ० चुन्नीलाल, आयु-वयस्क

निंग्राम-पिपलिया कुलमी तहोजीरापुर राजगढ़।

वेदी नीरज का नाम
नाम- हारा छोड़
दिन- 29.1.13 वा
नी खाजा जोधपुर ७८
उत्तरी

29.1.13

----- प्रतिप्रार्थिणा

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म० प्र० ०५ रा० स० १९५९ विरुद्ध आदेशा दिनांक
३०/१०/१२ जो प्र०ब्रं ४/बी-१२/१०-११ में न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महो.
राजगढ़ जिरा राजगढ़ द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थिणा की ओर सेविन्निलिखित तथ्यों स्वं विधिक आधारों पर^१
यह निगरानी प्रस्तुत है।

- तथ्य -

P.S. यह कि प्रकरण का संधिष्ठ विवरण इस प्रकार है कि अब्दुल हमीद
२५, हरि निवास दुर्गा पौरी ३० करीम जाति-पिंजारा निंग्राम-पिपलिया कुलमी हाल म० पिङ्गावा
तलैया, भोपाल जिरा ग्वालावाड़ राजस्थान। द्वारा अनुचितागीय अधिकारी खिल्चीपुर-जीरापुर
के समर्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसके बाते की भूमि पर घटयंत्र पूर्वक
बिना प्रार्थी की जानकारी के अवैध रूप से अन्य लोगों के नाम तत्कालीन
हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के नामांतरण किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—648—तीन / 2013

जिला—राजगढ़

प्रभूलाल व अन्य विरुद्ध सुगरा बी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों द्वारा अग्रिमात्रके हस्ताक्षर
29—05—2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर राजगढ़, जिला—राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 4 / बी—121 / 2010—11 में पारित आदेश दिनांक 30—10—2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मोप्र० भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 23—07—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(आर०क० जैन) सदस्य</p> 	